

रिपोर्ट पदवारी हल्का/आई०एल०आर० (बागोली)  
 आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार निम्नलिखित गजल गुरु बागोली  
 2015-28 के खाता सं 156, 269, 270, 276, 36 के सहित के पार्सी का नाम  
 पपु 5/0 का नाम (अशोक कुमार) का नाम (अशोक कुमार) का नाम (अशोक कुमार)  
 27/11/2020

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमान आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिगमा की जाती है / की जाती है।

1759  
29/11/20

उचित किया जाय  
उचित है

29/11/2020

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेल (गज.)

- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अनल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	बागोली		156, 269 270, 276 36	पपु 5/0 मिश्र	अशोक कुमार गुप्तर मिश्र अशोक गुप्तर

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/1734-35

दिनांक :- 29/11/20

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

अशोक कुमार गुप्तर

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी